

UPHR040281162022



Presented on : 19-10-2022
Registered on : 19-10-2022
Decided on : 21-02-2024
Duration : 1 years, 4 months, 2 days

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई।

पीठासीन अधिकारी -श्रीमती नेगी चौधरी,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)-**UP03626**

WARRANT OR SUMMONS CRIMINAL CASE/22410/2022

सरकार बनाम रामनरेश रैदास

मुकदमा अपराध संख्या-421/2020

अंतर्गत धारा 60 आयुध अधिनियम

थाना- बेहटा गोकुल, जनपद हरदोई।

दिनांक- 21.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। अभियुक्त रामनरेश रैदास को भेजी गयी आदेशिकाओं पर थाना- बेहटा गोकुल, जिला हरदोई से आख्या दिनांकित 31.10.2023 को प्राप्त हुई कि अभियुक्त राम नरेश रैदास की मृत्यु लगभग 03 वर्ष पूर्व हो चुकी है और ग्राम प्रधान का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

उक्त वाद सन् 2020 का है। उक्त वाद वास्ते हाजिरी नियत है। उक्त वाद में मात्र एक अभियुक्त राम नरेश रैदास है। अभियुक्त राम नरेश रैदास की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। ऐसी स्थिति में पत्रावली को लम्बित रखे जाने का पर्याप्त कारण नहीं है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय,
हरदोई।